बाल यौन शोषण

१. बाल यौन शोषण क्या है?
२. संभवनीय बाल यौन शोषण को दर्शानेवाले चेतावनी के संकेत
३. अगर आपका बच्चा या आपके पहचान में कोई बालक अगर यौन शोषण का शिकार है
४. बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण कानून, २०१२
५. स्नेहा किस तरह मदद कर सकती है

अठारह साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को 'बालक' नाम से परिभाषित किया गया है। (धारा २ (१) (ड़ी) यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२)

बाल यौन शोषण क्या है?[१]

ज़्यादा उम्र के या ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति द्वारा यौन संतुष्टि के लिए किसी बालक का इस्तेमाल करना बाल यौन शोषण कहलाया जाता है। आम तौर पर अपराधी एक वयस्क होता है, लेकिन एक ज़्यादा ताकतवर बच्चा भी हो सकता है। लड़के तथा लड़कियाँ दोनों भी इस अपराध के शिकार बन सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यह एक चिंता का विषय होने के अलावा यह कानूनद्वारा दंड़नीय अपराध है।

बाल यौन शोषण के प्रकार[२]

बाल यौन शोषण में नीचे दिए गए स्पर्श और बिना-स्पर्श के बर्ताव शामिल किए गए हैं (पर ज़रूरी नहीं कि इन्हीं कृत्यों तक यह सीमित हों।)

स्पर्श से ज़ुडे बर्ताव:

- यौन सुख के लिए बालक के शरीर को सहारना
- यौन सुख की चाहत/दृष्टि से बालक को चूमना
- बच्चे के शरीर पर जननांग मलना
- बालकों के शरीर को खास कर निजी भाग (स्तन और जननांग) को यौन उद्देश्य से छूना। इसमें बालक को ऐसा करने के लिए मज़बूर करना भी शामिल है।
- बालक को किसी दूसरे व्यक्ति के जननांगों को छूने के लिए कहना या 'पॅण्ट ड़ाऊन' जसे यौन खेल खेलना।
- बालक को हस्तमैथुन करने के लिए उत्तेजित या मज़बूर करना, जिसमें बालक सहभागी हो या प्रेक्षक हो।

- बालक को मुखमैथुन (बालकके या बालक द्वारा मुंह से जननांग को छूना) करने के लिए प्रोत्साहित करना या जबरदस्ती करना।
- बालक के योनि, मुख या गुदा में कोई चीज़ (जैसे कि उंगली, जुबान या पुरुष लिंग) ड़ालना या फिर ऐसे करने की कोशीश करना।

बिना-स्पर्श के बर्ताव में शामिल है :

- यौन क्रिया देखने या सुनने के लिए बालक को प्रोत्साहित करना फिर चाहे वह व्यक्तिशः हो या एकांत दूर करने से हो।
- बालक की तरफ़ यौन (सेक्स्युअल) दृष्टि से देखना।
- बालक को निज़ी इंद्रिय दिखाना - नुमाईशबाज़ी (एक्झिबिशनिज़्म)
- बालक को नग्नावस्था में देखना जैसे कि कपड़े बदलते वक़्त या स्नानगृह का इस्तेमाल करते हुए, फिर वह चाहे बालक की जानकारी सहित या जानकारी के बगैर क्यों न हो (वॉयरिज़्म)।
- बालिक व्यकिद्वारा बालक के लिए सुझावपूर्ण लैंगिक टिप्पणि करना। बालक के यौन विकास के बारे में टिप्पणि करना।
- बालक को अश्लील चीज़े पढ़ने/देखने के लिए देना या उसका अश्लील चीज़ो में इस्तेमाल करना।

१. **तुलिर:** बाल यौन अत्याचार का प्रतिबंध और शुश्रुषा केंद्र, चेन्नई

http://www.tulir.org/childsexualabuse.htm

2. ibid

उपर दी गई कृतियों के अलावा, लोगों द्वारा बच्चों की यौन प्रतिमाएं बनाकर इंटरनेट पर भेजना/अपलोड़ करना और उन्हें ड़ाऊनलोड़ करना भी एक गंभीर और बढ़ती समस्या है। बच्चों की यौन प्रतिभाएं देखना भी बाल यौन शोषण में सहभागी होना है।

संभवनीय बाल यौन शोषण को दर्शानेवाले चेतावनी के संकेत क्या है?[३]

यौन शोषण का शिकार होने पर बालक हमें साफ शब्दों में उसके बारे में शायद बयान नहीं भी कर सके लेकिन अन्य कई तरीकों से और वर्तन से हमें इसका पता चल सकता है।

- खिलौने या वस्तुओं के साथ अयोग्य यौन वर्तन।
- ड़रावने सपने, नींद की समस्या
- एकाकी हो जाना या हर समय चिपक कर रहना
- मन की बातों को असाधारण तरीके से छुपाने की कोशिश करना/चुपचाप रहना

- व्यक्तित्व में अचानक से बदलाव, मनस्थिति में बदलाव और असुरक्षितता की भावना
- अपने उम्र से कम उम्र जैसा बर्ताव करना, मिसाल के तौर पर बिस्तर गिला करना
- किसी व्यक्ति या स्थान को लेकर मन में अज़ीब सा ड़र लगना
- बहुत गुस्सा आना
- खान पान की आदतों में बदलाव
- शरीर के अंगों के लिए वयस्कों द्वारा इस्तेमाल किए जानेवाले शब्दों का उपयोग करना और इन शब्दों को उसने कहा से सीखा है इसका पता ना चलना
- किसी नए ज़्यादा उम्र के दोस्त का ज़िक्र करना या बच्चे के पास पैसे या तोहफ़ पाये जाना जो कहाँ से मिले यह ना समझना।
- किशोरवयीन बच्चों में खुद को ही चोट पहुंचानेवाला वर्तन दिखाई देना (काट लेना या जलाना)
- शारीरिक लक्षण, जननेंद्रियों के आसपास या मुंह में छाले या ज़ख्म, यौन संचारित बिमारी/रोग, गर्भावस्था
- घर से भाग जाना
- किसी विशिष्ट बच्चे या युवा के साथ अकेले रहना पसंद ना करना

किसी एक लक्षण का मतलब आपके बच्चे का यौन शोषण हो रहा है, ऐसा नहीं है। पर इनमें कई लक्षणों का मतलब है आपको सवाल पूछने चाहिए और मदद के लिए पूछना चाहिए। ध्यान में रखिए कि इनमें से कुछ लक्षण अन्य तनावभरे दौर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि -

- तलाक के दौरान
- घर के किसी सदस्य या पालतू जानवर के मौत पर
- स्कूल में या दोस्तों के साथ कोई समस्या होने पर
- अन्य तनाव बढ़ानेवाले हालात

चेतावनी भरे शारीरिक लक्षण :

यौन शोषण के शारीरिक लक्षण कम है, फिर भी अगर आप को यह लक्षण दिखाई दे तब आपके बच्चे को ड़ॉक्टर के पास ले जाइए।

- जननांग, गुदा या मुंह के इर्दगिर्द दर्द, सूजन, रंग बदल जाना, खून निकलना या स्राव होना।
- चलने में दिक्कत
- शरीर पर घाव/व्रण/खरोंच के निशान

- पेशाब या मलविसर्जन के समय लगातार या आवर्ती दर्द
- अचानक मूत्र या मलविसर्जन के हादसे जो आदतों से संबंधित नहीं है

३. स्रोत : पेरेन्ट्स प्रोटेक्ट, यू.के.

अगर आपका या आपके पहचान का कोई बच्चा यौन अत्याचार का शिकार हो रहा है तब क्या किया जा सकता है -

- अपने बच्चे पर भरोसा कीजिए !
- सामान्य बर्ताव कीजिए और बच्चे को सहज (कंफर्टेबल) महसूस होने दीजिए।
- बच्चे को बताइए कि यह उसको गलती नहीं है।
- बच्चे को विश्वास दीजिए की उसने जो बाते आपको बतायी है उनका ज़िक्र आप दूसरों से नहीं करेंगे लेकिन फिर भी बच्चे को समझाइए कि आपको अपराधी के खिलाफ़ कार्रवाई करनी होगी ताकि उस बच्चे की सुरक्षितता आश्वासित की जा सके।
- बच्चे को आगे की कार्रवाईयों के लिए तैयार कीजिए, जैसे वैद्यकीय सहायत और जाँच के लिए) डॉक्टर से मिलना या अस्पताल जाना, पुलिस से संपर्क, समुपदेशक (काउंसलर) के साथ सत्र/मिलना।
- अगर आपका बच्चा आपको दुर्घटना के तुरंत बाद सब कुछ बताता है, तब बच्चे के कपड़े मत बदलिए या फिर उसे नहलाये भी नहीं। सबूतों को बरकरार रखने के लिए यह ज़रूरी है।
- बच्चे को नज़दीकी अस्पताल में वैद्यकीय जाँच और इलाज़ के लिए ले जाइए।
- नज़दिक के पुलिस थाने में इस वारदात या अत्याचार के बारे में इत्तेला/जानकारी दीजिए। आपको बच्चे के रहने के करीब के पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज़ करनी पड़ेगी। कंप्लेंट दर्ज़ होने के बाद पुलिस बच्चे का बयान बच्चे के घर पर या ऐसी जगह पर लेते हैं, जहाँ बच्चा सुरक्षित महसूस करता है।
- आपको पता चलने से २४ घंटे पहले भी दुर्घटना घट चुकी है, तो भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
- अगर आप अपने बलबूते पर परिस्थिति को संभाल नहीं सकते तब आप स्नेहा जैसी किसी स्वयंसेवी संस्था/गैर-सरकारी संघटन से जानकारी, सहायता और मार्गदर्शन के लिए संपर्क कर सकते हैं।
- आपके बच्चे को किसी व्यावसायिक समुपदेशक के पास सहायता के लिए ले जाईए। स्नेहा संस्था हिंसा की शिकार महिला और बच्चों को समुपदेशन सेवा प्रदान करती है। (ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे देखिए।)
- आप १०९८ से संपर्क कर सकते हैं, यह एक २४ घंटे चलनेवाली हेल्पलाईन दूरभाष सेवा है जो बच्चों के उपर हो रहे यौन या अन्य तरह के अत्याचारों को दर्ज़ कराने के लिए चाईल्ड़लाईन संस्था द्वारा चलायी जाती है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, २०१२

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ (पोक्सो अधिनियम, POCSO Act) को बच्चों पर हो रहे यौन अत्याचार, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफ़ी (अश्लील फ़िल्में) से बच्चों का संरक्षण करने के लिए और इन गुनाहों में कानूनी कारवाई के दौरान बच्चों को सहज हो ऐसा माहौल प्रदान करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में बच्चों पर होनेवालेसात विशेष लैंगिक अपराधों के लिए प्रावधान है (जिनमें बिना-स्पर्श के बर्ताव शामिल है)। कानूनी कारवाई की प्रक्रिया जैसे की जाँच और पेशी, के दौरान बच्चे के लिए अनुकुल वातावरण को बनाए रखना अनिवार्य है। यह कानून किसी भी तरह से बच्चे की यौन स्वायत्तता को मान्यता नहीं देता (यानि इस कानून में बालकों को लैंगिक आझादी नहीं है)। इस कानून के तहत बच्चों को भी यौन अपराध को अंजाम देने पर अपराधी माना जाता है। नतीजन, अठारह साल से कम उम्र के बच्चों के साथ या उनके बीच में भी किसी भी तरह का यौन वर्तन या यौन नज़दिकियों को यौन अपराध समझा जाएगा।

(स्रोत:सी.सी.एल.-एन.एन.एस.आई.यू., २०१३;
http: //www.nls.ac.in./ccl/justiceforchildren/poscoact.pdf)

अगर आप जानते हैं कि, किसी बच्चे पर यौन दुर्व्यवहार /अत्याचार हो रहा है तो स्नेहा संस्था आपकी किस तरह से मदद कर सकती है ?

- स्नेहा संस्था संकट समय तत्काल सहायता प्रदान करती है। (अधिक जानकारी के लिए हमारा 'संपर्क' पृष्ठ देखिए)
- हम पीड़ित बच्चे और उसके परिवार को समुपदेशन करते हैं।
- हम आपको मौजुदा कानून के तहत अपराध का मामला दर्ज़ करने में भी मदद करते हैं : यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम २०१२ (ऊपर टिप्पणी देखिए)।
- अगर ज़रूरत हो तब हम बच्चे के लिए आश्रय/आधार/बालगृह की भी व्यवस्था करते हैं।
- कानूनी केस के पूरे होने तक हम कोर्ट में मामले का फॉलो-अप करने में भी सहायता करते हैं।

स्नेहा संस्था बालक और उसके परिवार की गोपनीयता सुनिश्चित करती है।